



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 1983/चैत्र 17, 1905
No. 52] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 1983/CHAITRA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1983

संख्या एस-16025/3/82-एल. डब्ल्यू. :—भारत के राजपत्र
(असाधारण) के भाग 1, खंड 1 में तारीख 29 मई, 1982 को
प्रकाशित श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या एस-16025/3/82-एल.
डब्ल्यू., तारीख 29 मई, 1982 में आंशिक संशोधन करते हुए,
केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त संकल्प में क्रमांक (2) के समक्ष “श्री बी. आर.
शिवांकर, कमरा नं. 36, तीसरा खंड, जावेरी
हाउस, डा. बाटलीवाला परेल, बम्बई-12” शब्दों
और अक्षरों को “श्री बी. सी. घोष, वरिष्ठ
एडवोकेट, भारतीय उच्चतम न्यायालय और
प्रीजिडेण्ट, एन. एफ. रेलवे मजदूर यूनियन,
रामाकृष्ण एवेन्यू, पटना” से प्रतिस्थापित किया
जाए।

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति
भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की जाए।

लक्ष्मीधर मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th April, 1983

No. S/16025/3/82-LW.—In partial modification of the
Ministry of Labour Resolution No. S/16025/3/82-LW, dated
the 29th May, 1982, published in Gazette of India Extra-
ordinary Part-I, Section -I, dated the 29th May, 1982, the
Central Government makes the following amendments,
namely :—

In the said Resolution against Serial No. (2) for the words
and letters “Shri B. R. Shivankar, Room No. 36,
IIIrd Floor, Zaveri House, Dr. Batliwala, Parel,
Bombay-12”—“Shri B. C. Ghosh, Senior Advocate,
Supreme Court of India and President, N.F. Railway
Mazdoor Union, Rama Krishna Avenue, Patna” may
be substituted.

ORDER

Ordered also that a copy of the Resolution be published
in the Gazette of India Extraordinary.

LAKSHMIDHAR MISHRA, Jt. Secy.